बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 244295 पटना, दिनांक:- 27/08/15
ग्रा0वि0-3/स्था0-01-60/2015

प्रेषित,

श्री पन्ना लाल,
ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
पंडौल, मधुबनी,
सम्प्रति अधिसूचित ग्रामीण विकस पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
नवीनगर, औरंगाबाद ।

विषय:- **स्पष्टीकरण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0- 240787 दिनांक- 04.08.15 द्वारा ग्रामीण विकस पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडौल, मधुबनी से स्थानान्तरित करते हुए ग्रामीण विकस पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद के पद पर अधिसूचित / पदस्थापित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा अबतक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया है।

आपके द्वारा विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जो आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोतक है ।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन
प्रदीप कुमार
(प्रदीप कुमार) 26/8/15
सचिव

ज्ञापांक:- 244295 पटना, दिनांक:- 27/08/15

प्रतिलिपि:- **जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. **श्री पन्ना लाल**, **ग्रामीण विकास पदाधिकारी**-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, **पंडौल, मधुबनी** को विभागीय अधिसूचना सं0- 240787 दिनांक- 04.08.15 के अनुपालन में अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु कब **विरमित किया गया** /अधिसूचित पदस्थापन कार्यालय- प्रखंड-**नवीनगर, औरंगाबाद** में **योगदान करने से संबंधित सूचना**/, से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रदीप कुमार
सचिव 26/8/15